**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2997**

**जिसका उत्तर बुधवार, 19 मार्च, 2025 को दिया जाएगा**

**आंध्र प्रदेश में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग**

**2997. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एससीडीआरसी) में 2200 मामले दर्ज किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान 2200 मामलों में से केवल 800 मामलों का निपटान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो एससीडीआरसी द्वारा मामलों के इतने धीमे निपटान के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्री बी. एल. वर्मा)**

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एससीडीआरसी) में 2260 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के एससीडीआरसी में निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 1686 है।

ग) उपभोक्ता मामले विभाग प्रगतिशील कानून बनाकर उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रहा है। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकियों, ई-कॉमर्स बाजारों आदि के नए युग में उपभोक्ता संरक्षण को नियंत्रित करने वाले ढांचे को आधुनिक बनाने की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त कर दिया गया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया गया।

नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताएं हैं: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना; उपभोक्ता आयोगों में न्याय निर्णय प्रक्रिया का सरलीकरण जैसे कि उपभोक्ता आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाना, लेन-देन के स्थान पर ध्यान दिए बिना उपभोक्ता के कार्य/निवास के स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले उपभोक्ता आयोग से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग, यदि शिकायत दर्ज करने के 21 दिनों के भीतर यदि स्वीकार्यता तय नहीं होती है तो शिकायतों की स्वत: स्वीकार्यता; उत्पाद दायित्व का प्रावधान; मिलावटी उत्पादों/नकली वस्तुओं के निर्माण/बिक्री के लिए दंड का प्रावधान; ई-कॉमर्स और प्रत्यक्ष बिक्री में अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम के लिए नियम बनाने का प्रावधान।

कॉन्फोनेट योजना के अंतर्गत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से सुनवाई करने के लिए वीसी उपकरण राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) की 10 बेंचों और आंध्र प्रदेश एससीडीआरसी सहित राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (एससीडीआरसी) की 35 बेंचों पर स्थापित और क्रियाशील किए गए हैं। साथ ही, केंद्र सरकार उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के मौजूदा और प्रत्याशित रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ लगातार बातचीत कर रही है।

*****